रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 13—सितम्बर 19, 2008 (भाद्रपद 22, 1930)

No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 13—SEPTEMBER 19, 2008 (BHADRA 22, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधियां, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 1151

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 839

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 11

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ... 1385

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम ..... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ ..... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) ..... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश ..... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 6401

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 513

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..... *

भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 8515

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 235

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक ..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 1151

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 839

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence..... 11

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence..... 1385

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations..... *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations ..... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills..... *

PART II—SECTION 3—SUB SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..... *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 6401

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs..... 513

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners..... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies..... 8515

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 235

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi..... *

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]
[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 अगस्त 2008

सं. यू-17014/1/2007/रा.ले.प्र.-12(एचएलसी)--भारत सरकार एतद्द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना यू.-17014/1/2007/रा.लेप्र-12(एचएलसी) द्वारा गठित डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता वाली बचत एवं निवेश के आकलन संबंधी उच्च स्तर समिति का कार्यकाल 26 दिसंबर, 2008 तक बढ़ाती है।

2. 26 दिसंबर, 2007 की अधिसूचना में दिए गए उच्च स्तर समिति के विचारार्थ विषय और अन्य विषय वही रहेंगे।

3. इसे वित्तीय सलाहकार (सांख्यिकी) की सहमति से बजट और वित्त अनुभाग की दिनांक 17-7-2008 की डायरी सं. 334 के तहत जारी किया गया है।

अरविन्द कुमार
संयुक्त सचिव

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त 2008

संकल्प

संख्या ई-11015/3/2003-हिन्दी--गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20015/45/87-रा.भा. (क-2) दिनांक 15 मार्च, 1988 के अनुसरण में, भारत सरकार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है। समिति की संरचना और कार्य, आदि निम्न प्रकार होंगे:--

I.	संरचना	
1.	वाणिज्य और उद्योग मंत्री	अध्यक्ष
2.	उद्योग राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
II.	सरकारी सदस्य	
क.	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	
3.	सचिव	सदस्य

4.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव	सदस्य
6.	संयुक्त सचिव	सदस्य
7.	संयुक्त सचिव (प्रभारी हिन्दी)	सदस्य सचिव
8.	तकनीकी सलाहकार (बॉयलर)	सदस्य
ख.	राजभाषा विभाग	
9.	सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
10.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
ग.	सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय और संगठन	
11.	नमक आयुक्त, जयपुर	सदस्य
12.	आर्थिक सलाहकार, नई दिल्ली	सदस्य
13.	अध्यक्ष, टैरिफ आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
14.	मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर	सदस्य
15.	महानियंत्रक, पेटेंट डिजाइन एवं ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री, मुंबई	सदस्य
16.	निदेशक, केन्द्रीय विनिर्माणकारी प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलूर	सदस्य
17.	निदेशक, केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर	सदस्य
18.	निदेशक, भारतीय रबड़ विनिर्माण अनुसंधान संघ, पुणे	सदस्य
19.	महानिदेशक, राष्ट्रीय सीमेंट तथा भवन निर्माण सामग्री परिषद्, बल्लभगढ़, हरियाणा	सदस्य
20.	कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद	सदस्य
21.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय विनिर्माणकारी प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद्, नई दिल्ली।	सदस्य
22.	महानिदेशक, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नई दिल्ली	सदस्य
23.	महासचिव, भारतीय गुणवत्ता परिषद्, नई दिल्ली	सदस्य
24.	मुख्य लेखा नियंत्रक, नई दिल्ली	सदस्य
III.	गैर-सरकारी सदस्य	
क.	लोक सभा सदस्य	
25.	श्रीमती मीनाती सेन	सदस्य
26.	श्री छत्तर सिंह दरबार	सदस्य
ख.	राज्य सभा सदस्य	
27.	श्रीमती विप्लव ठाकुर	सदस्य
28.	श्री विजयकुमार रुपानी	सदस्य
ग.	संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि	
29.	श्री मतिलाल सरकार, सांसद (राज्य सभा)	सदस्य
30.	श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, सांसद (लोक सभा)	सदस्य

घ. अखिल भारतीय स्तर के हिन्दी स्वैच्छिक संगठनों, आदि के प्रतिनिधि

31. श्री सुरेन्द्र कुमार टुटेजा, सदस्य
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली

32. डा. पद्माकर पाण्डे, सदस्य
नागरी प्रचारिणी सभा, नई दिल्ली-110067

IV. वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा नामांकित सदस्य

33. श्री अरुण दीक्षित, सदस्य
राष्ट्रीय ब्यूरो में विशेष संवाददाता (नवभारत टाइम्स) भोपाल (मध्य प्रदेश)

34. श्री निर्मल पाठक, चीफ ऑफ ब्यूरो, दैनिक भास्कर, सदस्य
कौशाम्बी, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)

35. श्री सनत कुमार जैन, सदस्य
चेयरमैन व मुख्य संपादक, एक्सप्रेस ग्रुप ऑफ न्यूजपेपर्स व एक्सप्रेस मीडिया सर्विस, सदस्य
भोपाल (मध्य प्रदेश)

36. श्री गोवर्धन यादव, अध्यक्ष, सदस्य
मध्य प्रदेश राष्ट्र भाषा प्रचार समिति,
छिन्दवाड़ा, (मध्य प्रदेश) 480001

V. राजभाषा विभाग द्वारा नामांकित सदस्य

37. एडवोकेट श्रीमती ललिता श्याम पाटील, सदस्य
जिला जलगांव, महाराष्ट्र

38. श्रीमती साधना सान्याल, सदस्य
पो.आ. एवं जिला धुबरी, असम-783301

39. श्री शावेश विजयरण, सदस्य
नांगलोई, नई दिल्ली-110086

2. समिति के कार्य

इस समिति का कार्य औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंन्धित विषयों तथा गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के बारे में सलाह देना होगा।

3. समिति का कार्यकाल

समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष के लिए होगा, परन्तु:--

(क) जो सांसद इस समिति के सदस्य हैं,वे सांसद न रहने पर इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे अपने उन पदों पर हैं जिनके नाते वे समिति के सदस्य हैं।

(ग) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र देने, मृत्यु, आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त किया गया सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सदस्य रहेगा।

4. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ल में होगा किन्तु समिति किसी अन्य स्थान पर भी अपनी बैठकें कर सकेगी।

5. यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते

(क) राजभाषा विभाग के दिनांक 03.02.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. II/20034/04/2005-रा.भा. (नीति-2) के तहत समिति में नामित सांसदों को "संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954" के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

(ख) समिति के अन्य गैर सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के का. ज्ञा. सं. II/22034/04/86-रा.भा. (क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, लेखा नियंत्रक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

नरेश नन्दन प्रसाद
संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त 2008

सं. 5/17/2007--केन्द्र सरकार ने 912.67 करोड़ रुपये के परिव्यय से भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) नामक स्कीम अनुमोदित की है, जिसे 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। इस स्कीम का लक्ष्य भारतीय चमड़ा क्षेत्र में कच्चे माल के आधार को बढ़ाना, क्षमता में वृद्धि करना, पर्यावरण संबंधी चिंताओं का समाधान करना, मानव संसाधन करना, मानव संसाधन विकास, निवेश आकर्षित करना तथा भारतीय चमड़े का वैश्विक आधार पर विपणन करना है।

2. दिनांक 29 अगस्त, 2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के द्वारा जारी किए गए भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) के तहत घटकों का ब्यौरा अधिसूचना के साथ अनुबंध के रूपमें संलग्न है।

आर. के. मलिक
निदेशक

विषय : भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) – 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन।

सं. 5/17/07-चमड़ा

चमड़ा क्षेत्र भारत का 10वां सबसे बड़ा विनिर्माण क्षेत्र है और यह अपने भारी समग्र उत्पादन, निर्यात आय एवं रोजगार संभाव्यता के दृष्टिगत भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चमड़ा क्षेत्र में 2.5 मिलियन लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जिनमें से अधिकांश समाज के कमजोर वर्गों से तथा 30 प्रतिशत महिलाएं हैं। इस क्षेत्र में लघु और मझौले उपक्रमों का बाहुल्य है। कच्चे माल के आधार में वृद्धि करने; क्षमता बढ़ाने; पर्यावरण संबंधी चिंताओं का समाधान करने; मानव संसाधन विकास; निवेश आकर्षित करने तथा वैश्विक रूप से विपणन की दृष्टि से, केंद्र सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया है। इस कार्यक्रम के निम्नलिखित घटक हैं :-

(i) **चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास (आईडीएलएस)** (परिव्यय 253.43 करोड़ रुपये) : यह 10 वीं पंचवर्षीय योजना की एक स्कीम है तथा इस को 11 वीं योजना में जारी रखा जा रहा है। नए एककों को शामिल करने के लिए इस स्कीम का कार्य-क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। यह स्कीम लघु उद्योगों को 30 प्रतिशत की दर से तथा गैर-लघु उद्योगों को 20 प्रतिशत की दर से निवेश अनुदान के रूप में 50 लाख रुपये तक सहायता उपलब्ध कराएगी। 2 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के भीतर, अनुदान राशि 50 लाख रुपये से अधिक होने पर 20 प्रतिशत की दर से सहायता दी जाएगी। 25 लाख से अधिक के संवितरण चार बराबर वार्षिक किस्तों में किए जाएंगे।

(ii) नेल्लोर में चमड़ा शोधन परिसर (परिव्यय 29 करोड़ रुपये) : इस परियोजना को 10 वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित किया गया था। लेकिन, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय न लेने के कारण इस परियोजना को लागू नहीं किया जा सका। इस परियोजना का लक्ष्य चर्म शोधन क्षेत्र की क्षमता बढ़ाना है। इस परियोजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस परियोजना को कार्यान्वित करने वाली एक संभावित संस्था लीडकैप को आवश्यक भूमि हस्तांतरित कर दी है। चर्मशोधन पार्क की अवसंरचना के विकास हेतु सहायता प्रदान करने के लिए 11वीं योजना में 29 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है।

(iii) एफडीडीआई (एनआईएफडीटी) शाखा, फुरसतगंज की स्थापना (परिव्यय 7.17 करोड़ रुपये) यह संस्थान फुटवियर डिजाईन एवं विकास संस्थान, नोएडा की एक शाखा के रूप में कार्य करेगा तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकीयों वाली सुविधाओं से लैस होगा। इस परियोजना के लिए इस विभाग द्वारा दी जा रही सहायता राशि 13.53 करोड़ रुपये है, जिसमें से 6.36 करोड़ रुपये की राशि 10 वीं योजना अवधि में जारी की जा चुकी है। 7.17 करोड़ रुपये की शेष राशि भी दिसंबर, 2007 अर्थात 11 वीं योजना अवधि में जारी कर दी गई।

(iv) फुटवियर परिसर (परिव्यय 3 करोड़ रुपये) यह 10वीं योजना की एक जारी स्कीम है, जिसका लक्ष्य चेन्नई के नजदीक 153.65 एकड़ में एक फुटवियर परिसर का निर्माण करना तथा बड़े फुटवियर विनिर्माण एककों को स्थापित करने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करना है। डिजाईन एवं परीक्षण केंद्रों, प्रदर्शनी केंद्रों, वेयरहाऊसिंग, साझा विद्युत संयंत्र आदि हेतु अवसंरचनात्मक विकास किया जाएगा। राज्य सरकार का एक उपक्रम, स्टेट इंडस्ट्रीज प्रोमोशन कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (एसआईपीसीओटी), कार्यान्वयन अभिकरण है। केंद्र सरकार ने 10वीं योजना में 11 करोड़ रुपये की राशि जारी

कर दी है तथा 3 करोड़ रुपये की शेष राशि 11 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जारी की जाएगी।

(v) जीनसाज़ी विकास (परिव्यय 10 करोड़ रुपये) साज़ और जीनसाज़ी में अनेक उत्पाद शामिल हैं। इस उद्योग ने कुशल जनशक्ति का उन्नयन और विकास, उपकरण उपसाधनों तथा साधनों, कम लागत वाली स्वदेशी मशीनरी का विकास व मानकीकरण और उत्पादन तकनीकों तथा प्रक्रियाओं में सुधार की प्रमुख चिंताजनक क्षेत्रों के रूप में पहचान की है। आईआईटी (कानपुर) के समग्र दिशानिर्देशन और देखरेख में गठित स्पेशल परपज़ विहिकल, अंतर्राष्ट्रीय जीनसाज़ी प्रौद्योगिकी और निर्यात प्रबंधन संस्थान (कानपुर) इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराता रहेगा और इस उद्योग के लिए आर एंड डी आधार के रूप में काम करता रहेगा।उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्ति की दृष्टि से, 11वीं योजनावधि के लिए 10 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

(vi) **कारीगरों को सहयोग** (परिव्यय 40 करोड़ रुपये) भारत में परंपरागत फुटवियर तथा चमड़े की अन्य वस्तुएं बनाने वाले अनेक समूह हैं। इस घटक का लक्ष्य इन समूहों को विभिन्न मंचों से प्रोत्साहित करना है, क्योंकि वे भारतीय अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग हैं और उनमें स्थानीय रोजगार के सृजन तथा निर्यात की संभावनाएं हैं। कारीगर समूहों (शहरी तथा ग्रामीण-दोनों) को बदलते चलन और फैशन के हिसाब से अपने डिजाइनों का दायरा बढ़ाने हेतु मदद देने, जाने बड़ी मात्रा में कच्चा माल खरीदने के लिए आवर्ती कोष का कॉरप्स देने, सहायता अनुदान आधारित जीवनयापन सहयोग, विपणन सहयोग/संपर्क तथा बैंक लिंकेज की सहायता दी जाएगी। इस घटक का वृहद उद्देश्य करीगरों को बेहतर व ज्यादा आय सुनिश्चित करना होगा।

vii) मानव संसाधान विकास (60 करोड़ रुपये का परिव्यय) : मानव संसाधन विकास मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-परंपरागत संभावित कार्यशक्ति को लक्ष्य करेगा। यह परियोजना संभावित तौर पर स्थापित होने वाले मध्यम से लेकर बड़े औद्योगिक इकाइयों में ग्रामीण क्षेत्रों

के लोगों को काम करने के लिए उपयुक्त बनाने हेतु उन्हें प्रशिक्षित और तैयार करेगी। प्रशिक्षुओं/पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करने के अलावा इस क्षेत्र में पहले से ही कार्यरत लोगों की कार्यकुशलता का उन्नयन किया जाएगा। यह योजना विशेष रूप से कटाई एवं सिलाई में कौशल विकास एवं तकनीकी विकास पर बल देगी। इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित प्रशिक्षण परिणाम से सम्बद्ध होगा जहां प्रशिक्षित किए गए कम से कम 75 प्रतिशत लोगों को उद्योगों में लगाया जाएगा।

viii) एफडीडीआई की सुविधाओं का उन्नयन तथा इस प्रकार के अन्य संस्थानों एवं केंद्रों की स्थापना : (300.07 करोड़ रुपये का परिव्यय) : वर्तमान में करीब 3800 व्यक्तियों को चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद क्षेत्र में प्रतिवर्ष शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाता है। इस आपूर्ति संख्या के प्रति, अगले 5 वर्षों तक उद्योग जगत की जरूरत करीब 1,00,000 कुशल व्यक्ति प्रति वर्ष है। प्रत्येक श्रेणी में छात्रों की संख्या बढ़ाने और उन्हें नवीनतम प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करने के लिए, मौजूदा इकाईयों की सुविधाओं का उन्नयन करना बेहद जरूरी हो गया है।

फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई), नोएडा फुटवियर और चमड़ा उद्योग क्षेत्र को प्रशिक्षण एवं परामर्शी सेवाएं देने वाला प्रमुख संस्थान है। अतः यह प्रस्ताव है कि कम-से- कम 3 नए एफडीडीआई परिसर तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तथा हरियाणा आदि में 11वीं योजनावधि के दौरान प्रत्येक पर 96.69 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्थापित किए जाएं ताकि चमड़ा उद्योग की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, नोएडा में मौजूदा एफडीडीआई परिसर के उन्नयन के लिए 10 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। सहायता राशि पूंजीगत परिसंपत्तियों एवं स्थायी अवसंरचना के सृजन हेतु एकमुश्त अनुदान के रूप में होगी तथा कोई आवर्ती लागत नहीं उपलब्ध कराई जाएगी।

(ix) चमड़ा क्षेत्र में पर्यावरण सुरक्षा के लिए ढांचागत सुविधाओं का उन्नयन/संस्थापन (200 करोड़ रुपये का परिव्यय) : पूरे विश्व में चमड़ा उद्योग और खास तौर पर चर्मशोधन कार्यकलापों को पर्यावरण चिंताओं के साथ जोड़ा जाता है। इस तथ्य के मद्देनज़र कि पर्यावरणीय मुद्दे धीरे-धीरे अपनी पकड़ बना रहे हैं और इस मामले में कड़े मानकों के साथ तालमेल बिठाने के लिए उद्योग जगत को उपायों की ज़रूरत होगी, इन चिंताओं के निवारण

के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में 200 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने वाली परियोजनाओं को केन्द्र सरकार से 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, शेष राशि राज्य सरकार (15 प्रतिशत) एवं उद्योग जगत (35 प्रतिशत) द्वारा दी जाएगी। संपूर्ण प्रचालन एवं रखरखाव लागत उद्योग जगत द्वारा वहन किया जाएगा।

(x) **मिशन मोड (10 करोड़ रुपये का परिव्यय)** : यह कार्यक्रम चमड़ा क्षेत्र में अनुसंधान कार्यक्रम सहयोग, सर्वेक्षण और समवर्ती मूल्यांकन आदि के लिए प्रावधानों को शामिल करता है। इसके अलावा 11वीं पंचवर्षीय योजना में आईएलडीपी के तहत लागू की जा रही विभिन्न परियोजनाओं में सलाहकार एवं परामर्शदायी सेवाओं की लागत का भी प्रावधान किया गया है।

2. उपर्युक्त संघटकों पर दिशा-निर्देश इस विभाग की वेबसाइट (http://dipp.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

आर. के. मलिक
निदेशक

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 अगस्त 2008

सं. 4(5)/03-डी -I आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खंड 3 के अंतर्गत जारी लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश 1956 के खंड 17 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने अपने एस.ओ. 1567 दिनांक 7 अप्रैल, 1971 के तहत एक संयुक्त संयंत्र समिति का गठन उसके स्वरूप व कार्यों का उल्लेख करते हुए किया था। संयुक्त संयंत्र समिति के स्वरूप एवं कार्य को समय-समय पर एस.ओ. 104 दिनांक 22.2.1973, एस.ओ. 123 दिनांक 3.3.1975, एस.ओ. 721 दिनांक 20.12.1975, एस.ओ. 744 दिनांक 27.12.1978, एस.ओ. 571 दिनांक 08.10.1979, एस.ओ. 734 दिनांक 09.02.1990, एस.ओ. 1211 दिनांक 04.04.1991, एस.ओ. 44 (ई) दिनांक 16.01.1992, एस.ओ. 1616 दिनांक 18.05.1992 और एस.ओ. 318 (ई) दिनांक 21.04.1994 के द्वारा संशोधित किया गया है।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का 54) जिसे उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अधिसूचना सं. 26(1)/2004-ई सी आर एंड ई (खंड-III) दिनांक 12.2.2007 के तहत दिनांक 12 फरवरी, 2007 से लागू किया गया था, के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 से लोहा एवं इस्पात को हटा दिए जाने के उपरांत तथा संयुक्त संयंत्र समिति की परिसंपत्तियों और दायित्वों, को बनाए रखने के लिए केंद्रीय सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उक्त संयुक्त संयंत्र समिति अपने वर्तमान स्वरूप में कार्य करना जारी रखेगी। इसका वर्तमान गठन और कार्य निम्नलिखित है:-

गठन

(i) संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय (इस्पात विकास विंग के प्रभारी) - अध्यक्ष

(ii) टाटा स्टील लिमिटेड एक प्रतिनिधि - सदस्य

(iii) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के चार प्रतिनिधि - सदस्य

(iv) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का एक प्रतिनिधि - सदस्य

कार्य:

(i) समिति इस अधिसूचना में उल्लिखित अपने कार्यों का निर्वहन करने और उत्पादन, संचलन व कीमत समेत किसी भी प्रकार के मामले में एक व्यापक डाटाबेस रखने के लिए लोहा एवं इस्पात के सभी उत्पादकों, संसाधकों, डीलरों और उपभोक्ताओं से ऐसी सूचनाएं और डाटा प्राप्त कर सकता है जैसाकि अपेक्षित हो । यह अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसी सांख्यिकी और अन्य यूनिटों का गठन कर सकती है जैसाकि आवश्यक हो।

(ii) समिति को स्वयं द्वारा पहले गठित संगठनों को बनाए रखने का अधिकार है और समिति, सामान्य बाजार स्थिति, स्वतंत्र बाजार कीमतों में उतार-चढ़ाव, उत्पादन की प्रवृत्ति और लोहा व इस्पात की उपलब्धता एवं संचलन की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के लिए उपयुक्त संगठन, विधियाँ व प्रक्रिया भी तैयार कर सकती है तथा इस प्रयोजनार्थ समिति लोहा एवं इस्पात संयंत्रों समेत सभी संबंधितों से प्रभावी ढंग से और समय पर सूचना की व्यवस्था करेगी।

(iii) समिति पूर्व में जारी किए गए आदेशों या निर्देशों और केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों या निर्देशों के अनुसार और उक्त लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 के तहत इस्पात विकास निधि और अन्य एकत्र निधि और उस पर प्रोद्भूत एवं प्राप्त ब्याज का प्रबंध व प्रचालन करने के लिए जिम्मेवार होगी।

(iv) समिति इस्पात मंत्रालय को नियमित रूप से व्यापक सूचना प्रस्तुत करेगी ताकि इस्पात मंत्रालय बाद में इस देश के लोहा व इस्पात क्षेत्र की प्रभावी तरीके से समीक्षा कर सके और जब भी मांग की जाए उद्योग को सूचना प्रदान कर सके।

(v) समिति अन्य सभी कार्य निष्पादित करेगी जो कि इस्पात मंत्रालय द्वारा उसे समय-समय पर सौंपे जा सकते हैं।

एम. के. राय
उप सचिव

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 सितम्बर 2008

विषय: अंतर्राष्ट्रीय डेयरी परिसंघ(आईडीएफ) की भारतीय राष्ट्रीय समिति (आईएनसी) की पुनर्स्थापना।

सं. 16-1/2008-डी.पी.--

इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 16-1/2007-डीपी, दिनांक 8 मई, 2007 में आंशिक संशोधन में, सक्षम प्राधिकारी ने प्रबंध निदेशक, गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ, आणंद तथा प्रबंध निदेशक, हटसन कृषि उत्पाद लिमिटेड, चेन्नई को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी परिसंघ(आईडीएफ) की भारतीय राष्ट्र समिति (आईएनसी) का सहयोजित सदस्य नामित किया है।

2. तदनुसार अंतर्राष्ट्रीय डेयरी परिसंघ(आईडीएफ) की भारतीय राष्ट्रीय समिति (आईएनसी) का गठन इस प्रकार है:-

1.	सचिव (एडीएफ), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी)	सदस्य
3.	पशुपालन आयुक्त, भारत सरकार	सदस्य
4.	संयुक्त सचिव (डेयरी विकास), भारत सरकार	सदस्य
5.	एन डी डी बी के बोर्ड से एक सदस्य	सदस्य
6.	निदेशक, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	सहयोजित सदस्य
7.	अध्यक्ष, भारतीय डेयरी संघ, नई दिल्ली	-वही-
8.	भारतीय मानक ब्यूरो, भारत सरकार से प्रतिनिधि	-वही-
9.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से प्रतिनिधि	-वही-
10.	उपाध्यक्ष, भोले बाबा दुग्ध खाद्य उद्योग, धौलपुर, राजस्थान	-वही-
11.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डायनामिक्स उद्योग, महाराष्ट्र	-वही-
12.	प्रबंध निदेशक, कर्नाटक दुग्ध परिसंघ, बंगलौर	-वही-
13.	प्रबंध निदेशक, प्रादेशिक सहकारी डेयरी परिसंघ, लखनऊ	-वही-
14.	प्रबंध निदेशक, पंजाब डेयरी विकास सहकारी परिसंघ, चण्डीगढ़	-वही-
15.	प्रबंध निदेशक, गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन परिसंघ, आणंद	-वही-
16.	प्रबंध निदेशक, हटसन कृषि उत्पाद लिमिटेड, चेन्नई	-वही-
17.	प्रबंध निदेशक, एनडीडीबी, आणंद	सदस्य सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन तथा भारत सरकार के सभी विभागों/मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, लोकसभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को परिचालित किया जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डा. प्रदीप कुमार
सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 अगस्त 2008

जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी उच्चतर अध्ययन संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि ग्राफिक ईरा यूनिवर्सिटी, देहरादून, उत्तराखंड से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत समविश्वविद्यालय का दर्जा देने का अनुरोध किया गया है।

3. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त प्रस्ताव की जांच की है और अपने दिनांक 8 जुलाई, 2008 के पत्र सं.एफ. 43-2/2007 (सीपीपी-I) के द्वारा ग्राफिक ईरा यूनिवर्सिटी, देहरादून, उत्तराखंड जिसमें ग्राफिक ईरा प्रौद्योगिकी संस्थान शामिल है को निम्नलिखित शर्तों पर पांच वर्ष की अवधि के लिए 'सम-विश्वविद्यालय' का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की है कि दर्जा दिए जाने के पांच वर्ष की अवधि के बाद इसके निष्पादन की पुनः समीक्षा की जाएगी।

4. अतः अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्द्वारा ग्राफिक ईरा प्रौद्योगिकी संस्थान वाली ग्राफिक ईरा यूनिवर्सिटी, देहरादून, उत्तराखंड को इसके सामवृत्त विश्वविद्यालय नामतः उत्तराखंड तकनीक विश्वविद्यालय और एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय से असम्बद्धता की तारीख से पांच वर्षों के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रमों हेतु उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ "सम-विश्वविद्यालय" के रूप में घोषित करती है, तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ समिति की सहायता से पांच वर्ष के अंत में समीक्षा करेगी।

5. ग्राफिक ईरा यूनिवर्सिटी, देहरादून, उत्तराखंड को दिये गये दर्जे की पांच वर्षों की अवधि के पश्चात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की उपरोक्त समीक्षा एवं तदुपरांत आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुष्टि की जाएगी।

6. उपर्युक्त पैरा 4 में की गई उद्घोषणा उन शर्तों के पूर्ण/अनुपालन के अधीन है जिनका उल्लेख इस अधिसूचना के पृष्ठांकन के क्रम संख्या 4 में है।

7. [illegible] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ग्राफिक ईरा समविश्वविद्यालय को [illegible] की आवश्यकता के आधार पर सहायता अनुदान प्रदान करेंगे।

सुनिल कुमार

संयुक्त सचिव

दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. एफ. 9-15/1995 यू. 3 ...

जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी उच्चतर अध्ययन संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत सम(विश्वविद्यालय घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. जबकि "भारती विद्यापीठ", पुणे को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत इस मंत्रालय की दिनांक 26 अप्रैल, 1996 की अधिसूचना संख्या एफ. 9-15/95-यू.3 के माध्यम से समविश्वविद्यालय घोषित किया गया।

3. और जबकि भारती विद्यापीठ ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग [illegible] इन्टरएक्टिव रिसर्च स्कूल फार हेल्थ अफेयर्स (आई.आर.एस.एच.ए.), पुणे [illegible] प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (आर.जी.आई.टी.बी.टी.), पुणे [illegible] अंतर्गत स्वतंत्र घटक का स्तर प्रदान करने का अनुरोध किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग [illegible] संस्थानों को भारती विद्यापीठ के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाने से सहमत [illegible] शर्ते कि वह कुछ शर्तें पूरी करे और बाद में उसने 25.9.2002 को आयोजित आयोग की बैठक में इस विषय को अनुमोदित कर दिया;

4. और जबकि इस मंत्रालय के अनुरोध पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग [illegible] अपनी विशेषज्ञ समिति के माध्यम से [illegible] उल्लिखित संस्थानों का निरीक्षण [illegible] निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार [illegible] आयोग ने दिनांक [illegible] 6-2/90 (सी.पी.पी.-I) के माध्यम से भारती विद्यापीठ समविश्वविद्यालय, पुणे [illegible] आई.आर.एस.एच.ए. और आर.जी.आई.टी.बी.टी. [illegible] अनुमोदित कर दिया। विश्वविद्यालय [illegible]

17 अगस्त, 2002 [illegible]

5. अतः अब केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर (i) इन्टर एक्टिव रिसर्च स्कूल फॉर हैल्थ एफेयर (आर.आर.एस.एच.ए.), पुणे और (ii) राजीव गांधी सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी (आर.जी.आई.आई.टी.बी.टी.), पुणे को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ 17 अगस्त, 2002 से अर्थात् उस तिथि से जिस दिन से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यापीठ का घटक स्वीकार किया था, उस तिथि से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी है बशर्ते कि वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों/अनुपालन करते हों।

(i) आर.जी.आई.आई.टी.बी.टी. को केवल गैर व्यावसायिक पाठ्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) आई.आर.एस.एच.ए. को किसी भी शैक्षिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति नहीं है और आई.आर.एस.एच.ए. जो कि मूलतः अनुसंधान केन्द्र हैं, भारती विद्यापीठ के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वैसे ही कार्य करता जारी रखेगा।

(iii) आर.जी.आई.आई.टी.बी.टी. और आई.आर.एस.एच.ए. की सभी स्थानान्तरणीय और अस्थानान्तरणीय परिसम्पत्ति/सम्पदा भारती विद्यापीठ (समविश्वविद्यालय) के पास विधायी रूप से निहित होगी।

(iv) भारती विद्यापीठ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मॉडल संगम ज्ञापन/नियमों के अनुसार अपने संगम ज्ञापन और नियमावली में संशोधन करेगी, और उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित कराएगी: और

(v) भारती विद्यापीठ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थाओं पर लागू समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों और दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेगी।

6. उपर्युक्त पैरा 5 में की गई उद्घोषणा शर्तों के आधार पर अनुपालन तभी पूरा किया जाएगा जबकि वे इस अधिसूचना की पृष्ठांकन की कम सं. 6 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करें।

7. न तो भारत सरकार और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारती विद्यापीठ ने या उसके किसी भी घटक एककों को कोई भी योजनागत और योजनेतर सहायता अनुदान प्रदान नहीं करेगी।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

सं. एफ. 9-7/2004-यू. 3--

जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के धारा 3 के अन्तर्गत इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ.9-15/95-यू.3 दिनांक 26 अप्रैल, 1996 के तहत "भारती विद्यापीठ" समविश्वविद्यालय घोषित किया गया।

2. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान की सिफारिश पर, दो संस्थान जिनके नाम,(i) भारती विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पीटल, सांगली और (ii) भारती विद्यापीठ डेन्टल कॉलेज और हॉस्पीटल, नवी मुम्बई को इस मंत्रालय की दिनांक 19.8.2004 के समसंख्यक अधिसूचना द्वारा तीन वर्ष पश्चात् और कुछ अन्य कतिपय शर्तों को पूरा करने संबंधी समीक्षा के आधार पर भारती विद्यापीठ, सम विश्वविद्यालय, पुणे के अन्तर्गत शामिल किया गया था।

3. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पैरा 2 में उल्लिखित संस्थाओं के निष्पादन की समीक्षा इस प्रयोजनार्थ गठित एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से की।

4. और जबकि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिनांक 10.03.2008 के पत्र संख्या एफ. संख्या 3-2/90 (सी.पी.पी.-I) के जरिए पैरा 2 में उल्लिखित संस्थाओं को नियमित आधार पर भारती विद्यापीठ समविश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में लाने पर सहमत हो गया है।

5. अतः अब केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम 1956 की धारा 3 की प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और इस मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर (i) भारती विद्यापीठ मेडिकल कालेज और हॉस्पीटल, सांगली और (ii) भारती विद्यापीठ डेन्टल कॉलेज और हॉस्पीटल, नवी मुम्बई को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ इस मंत्रालय के दिनांक 19.8.2004 की समसंख्यक अधिसूचना का कड़ाई से पालन करते हुए इन्हें निम्नलिखित शर्तों पर जारी रखने का अनुमोदन प्रदान करते हैं कि :(i) समविश्वविद्यालय संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श संगम ज्ञापन/नियमावली के अनुसार तत्काल आदर्श संगम ज्ञापन/नियमावली की पुनरीक्षा/संशोधन करेंगे तथा (ii) वह समय-समय पर भारतीय चिकित्सा परिषद् और भारतीय दंत परिषद् जैसी सांविधिक परिषदों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों तथा दिशानिर्देशों का पालन करेंगे जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत घोषित समविश्वविद्यालय संस्थाओं पर लागू है।

6. उपर्युक्त पैरा 5 में की गयी उद्घोषणा शर्तों के आधार का अनुपालन उसे पूरा तभी किया जाएगा जबकि वे इस अधिसूचना की पृष्ठांकन की कम सं. 6 में उल्लेखित शर्तों को पूरा करें।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

सं. एफ. 9-24/2004-यू. 3--

जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी उच्चतर अध्ययन संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि करपागम अकादमी ऑफ हायर एजूकेशन, कोयम्बटूर, तमिलनाडु से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत समविश्वविद्यालय का दर्जा देने का अनुरोध किया गया है।

3. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त प्रस्ताव की जांच की है और अपने दिनांक 8 जुलाई, 2008 के पत्र सं.एफ. 43-2/2007 (सीपीपी-I) के द्वारा करपागम अकादमी ऑफ हायर एजूकेशन, कोयम्बटूर, तमिलनाडु जिसमें ग्राफिक ईरा प्रौद्योगिकी संस्थान शामिल है को निम्नलिखित शर्त पर पांच वर्ष की अवधि के लिए 'सम-विश्वविद्यालय' का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की है कि दर्जा दिए जाने के पांच वर्ष की अवधि के बाद इसके निष्पादन की पुनः समीक्षा की जाएगी।

4. अतः अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्द्वारा ग्राफिक ईरा प्रौद्योगिकी संस्थान वाली करपागम अकादमी ऑफ हायर एजूकेशन, कोयम्बटूर, तमिलनाडु को इसके समयदान विश्वविद्यालय नामतः उत्तराखंड तकनीक विश्वविद्यालय और एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय से असम्बद्धता की तारीख से पांच वर्षों के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रमों हेतु उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ "सम-विश्वविद्यालय" के रूप में घोषित करती है, तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ समिति की सहायता से पांच वर्ष के अंत में समीक्षा करेगी।

5 करपागम अकादमी ऑफ हायर एजूकेशन, कोयम्बटूर, तमिलनाडु को दिये गये दर्जा की पांच वर्षों की अवधि के पश्चात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की उपरोक्त समीक्षा एवं तदुपरांत आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुष्टि की जाएगी।

6. उपर्युक्त पैरा 4 में की गई उद्घोषणा उन शर्तों के पूर्ण/अनुपालन के अधीन है जिनका उल्लेख इस अधिसूचना के परिशिष्ट के क्रम संख्या 4 में है।

7. न तो भारत सरकार और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करपागम अकादमी ऑफ हायर एजूकेशन, कोयम्बटूर को किसी भी तरह का योजनागत या योजनेतर सहायता अनुदान प्रदान करेंगे।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

दिनांक 11 सितम्बर, 2008

संकल्प

सं. 17-35/2004-पी. एन. I.—

समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा यह मांग बार-बार उठाई जाती रही है कि महान स्वतंत्रता सेनानी, एक उत्कृष्ट शिक्षाविद् और पहले संघ शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, के जन्मदिन, 11 नवम्बर, को समुचित ढंग से मनाया जाए। कई राज्य सरकारों ने भी इस मांग का समर्थन किया है। तदनुसार केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पूरे देश में प्रत्येक वर्ष 11 नवम्बर को छुट्टी घोषित न करते "राष्ट्रीय शिक्षा दिवस" के रूप में मनाया जाए।

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत के इस महान सपूत के जन्मदिवस को भारत में शिक्षा के लिए उनके योगदान को याद करते हुए मनाने का निर्णय लिया है। "राष्ट्रीय शिक्षा दिवस" पर शिक्षा संस्थान सभी स्तरों पर साक्षरता के महत्व और शिक्षा के सभी पहलुओं के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता के संबंध में सेमिनार, सिंपोजियम, निबंध-लेखन, भाषण प्रतियोगिता, कार्यशालाओं और बैनर, कार्ड तथा नारों के साथ रैलियों का आयोजन करने में शामिल होंगे। "राष्ट्रीय शिक्षा दिवस" में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं पर, माध्यमिक शिक्षा में मॉडल स्कूलों की स्थापना : उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में की गई विभिन्न पहलुओं पर और केन्द्र सरकार द्वारा स्वयं, और राज्य सरकारों के साथ-साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से व्यावसायिक और उच्चतर शिक्षा क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों पर बल दिया जाएगा। इन पहलों को विभिन्न औद्योगिक निकायों की सहायता से प्रायोजित किया जाएगा। देश में मानव संसाधन के विकास के लिए भी इन निकायों का पूरा सहयोग लिया जाएगा।

3. सभी संबद्ध लोगों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली सभी संस्थाओं को इस संकल्प के पैरा 2 में दिए गए कार्यकलापों को कार्यान्वित करना सुनिश्चित करें।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों, विश्वविद्यालयों, उच्चतर शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संस्थाओं/संगठनों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित की जाए।

सुनील कुमार
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) के अंतर्गत स्वायत्त संगठनों की सूची

क्र. सं.	स्वायत्त संगठन
1.	कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली–110007
2.	कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय न्यू महरौली रोड नई दिल्ली–110067
3.	कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश
4.	कुलपति बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी उत्तर प्रदेश
5.	कुलपति पुद्दुचेरी विश्वविद्यालय पुद्दुचेरी–605014
6.	कुलपति हैदराबाद विश्वविद्यालय हैदराबाद–500 134
7.	कुलपति नॉर्थ ईस्टर्न हिल युनिवर्सिटी, लोअर लाचुमेर, शिलांग–793022
8.	कुलपति इंदिरा गांधी नेशनल ओपन युनिवर्सिटी (इग्नू) इग्नू कॉम्पलैक्स, मैदानगढ़ी नई दिल्ली–110068
9.	कुलपति असम विश्वविद्यालय सिल्चर–788011
10.	कुलपति तेजपुर विश्वविद्यालय, नापाम, जिला सोनीतपुर, तेजपुर, असम–784025
11.	कुलपति विश्व भारती, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल–731235
12.	कुलपति नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा नागालैंड–797001.
13.	कुलपति जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर नई दिल्ली–110023

14. कुलपति
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी
विद्या विहार, रायबरेली रोड,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226025

15. कुलपति
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय
गार्चीबाउली
हैदराबाद–500032

16. कुलपति
महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय,
वर्धा पी.बी.सं0 16,
पंचीटोला, आर्वी रोड, उमरी

17. कुलपति
मणीपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर
इम्फाल–795003

18. कुलपति
मिजोरम विश्वविद्यालय
पी.बी. नं. 190, आइजवाल
मिज़ोरम–796012

19. कुलपति
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश

20. अध्यक्ष
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
बहादुरशाह ज़फर मार्ग,
नई दिल्ली–110002

21. कुलपति
इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च(आईसीएचआर)
35– फिरोज़शाह रोड,
नई दिल्ली–110001

22. अध्यक्ष
इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल रिसर्च (आईसीएसएसआर),
पोस्ट बॉक्स नं. 10528, अरुणा आसफ अली मार्ग,
नई दिल्ली–110067

23. अध्यक्ष
इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसोफिकल रिसर्च (आईसीपीआर),
36, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया,
बत्रा अस्पताल के पास,
तुगलकाबाद,
नई दिल्ली–110062

24. अध्यक्ष
नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट्स
एनआईआरडी कैम्पस, राजेन्द्र नगर,
हैदराबाद

25. अध्यक्ष
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ (आईआईएएस),
राष्ट्रपति निवास,
शिमला–171005

26.	अध्यक्ष नेशनल कमीशन ऑफ माइनोरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस पहली मंज़िल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001
27.	निदेशक राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, 56-57, इंस्टीटयूशनल एरिया, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली
28.	कुलपति श्री लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ कटवारिया सराय, कुतुब होटल के पास नई महरौली रोड, नई दिल्ली- 110067
29.	कुलपति राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति (आन्ध्र प्रदेश)
30.	निदेशक केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद-500007
31.	निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान(आईआईटी) हौज़ खास, नई दिल्ली-110016
32.	निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान(आईआईटी) कानपुर-208076
33.	निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान(आईआईटी),पोवई, मुम्बई-400076
34.	निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान(आईआईटी), खड़गपुर-721302
35.	निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान(आईआईटी), चेन्नई-600036
36.	निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान(आईआईटी),नॉर्थ गुवाहाटी, गुवाहाटी-781039
37.	निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान(आईआईटी), रुड़की-247667
38.	निदेशक भारतीय प्रबंधन संस्थान,वस्त्रापुर, अहमदाबाद-380015
39.	निदेशक भारतीय प्रबंधन संस्थान,बानेरघाट रोड, बंगलौर-560076

40. निदेशक
भारतीय प्रबंधन संस्थान, जोका,
डायमंड हार्बर रोड,
कोलकाता–700104

41. निदेशक
भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझीकोड,
कुन्नमंगलम,
कोझीकोड–673571

42. निदेशक
भारतीय प्रबंधन संस्थान,
इंदौर, पिगदाम्बेट, राउ,
मध्यप्रदेश –453331

43. निदेशक
भारतीय प्रबंधन संस्थान,
प्रबंध नगर,
कार्यालय सीतापुर रोड,
लखनऊ 226013

44. निदेशक
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
कालीकट–673601

45. निदेशक
एस.वी. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
सूरत–395007(गुजरात)

46. निदेशक
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
हजरतबल,
श्रीनगर–190006(जम्मू व कश्मीर)

47. निदेशक
मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
इलाहाबाद–211004(उ.प्र.)

48. निदेशक
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
दुर्गापुर–713209(पश्चिम बंगाल)

49. निदेशक
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
जमशेदपुर–831014(झारखंड)

50. निदेशक,
विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
नागपुर–440001

51. निदेशक
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
श्रीनिवासनगर,
सुरथकल–574157

52. निदेशक
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
वारंगल–506004

53. निदेशक
मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
जयपुर–302017

54.	निदेशक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला– 769008 (उड़ीसा)
55.	निदेशक मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल–462007
56.	निदेशक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली–620015 (तमिलनाडु)
57.	निदेशक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र– 132119
58.	निदेशक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्चर–788010
59.	निदेशक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर– 177001 (हिमाचल प्रदेश)
60.	निदेशक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (बिहार)
61.	निदेशक डा. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जी.टी. रोड, बाईपास, जालन्धर –144004 (पंजाब)
62.	निदेशक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर–(राजस्थान)
63.	निदेशक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला त्रिपुरा
64	निदेशक एबीवी–भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, एमआईटीएस परिसर ग्वालियर–474075
65.	निदेशक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नेहरू साइंस सेन्टर, कमला नेहरू रोड, इलाहाबाद–211002
66.	निदेशक पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाईन और विनिर्माण संस्थान, (आईआईआईटीडीएम) आईटी भवन, जबलपुर इंजीनियरिंग कैम्पस, रॉंझी जबलपुर–482011 (मध्य प्रदेश)
67.	निदेशक राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ब्लॉक एफ.सी., सेक्टर–III, साल्ट लेक, बिधान नगर कोलकाता–700106

68. निदेशक
राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान,
दक्षिण क्षेत्र, तारामणी
चैन्नई-600113

69. निदेशक
राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान
शामला हिल्स,
भोपाल-462002

70. निदेशक
राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान,
सैक्टर-26
चण्डीगढ़ 160019

71. निदेशक
बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग, वेस्टर्न रीजन
न्यू एडमिन बिल्डिंग दूसरा तल, एटीआई कैम्पस,
सियोन-ट्रॉम्बे रोड, सियोन,
मुम्बई 400022

72. निदेशक
बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (बीओपीटी),
ईस्टर्न रिजन,
ब्लॉक-ईए सेक्टर-1 (लेबोनी एरटेट के सामने)
पीओ सॉल्ट लेक सिटी,
कोलकाता

73. निदेशक
बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (बीओएटी),
प्लॉट नं 16, ब्लॉक-1ए, ल्यालपुर, जीटी रोड,
कानपुर -208024

74. निदेशक
बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (बीओएटी),
सीआईटी कैम्पस, तारामणी,
चैन्नई-600113

75. अध्यक्ष
ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन(एआईसीटीई),
सातवाँ तल, चन्द्रलोक भवन, जनपथ,
नई दिल्ली-110002

76. अध्यक्ष
काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर, इण्डिया हेबीटेट सेन्टर,
कोर-6-ए, पहला तल, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

77. निदेशक
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस,
बंगलौर-560012

78. निदेशक
इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स,
धनबाद-826004(झारखंड)

79. निदेशक
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नॉलोजी(एनआईएफएफटी),
पी.ओ. हटिया,
रांची-834003(झारखंड)

80.	निदेशक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग, विहार लेक, पीओ–एनआईटीआईई, मुम्बई–400087
81.	निदेशक स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्कीटेक्चर, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002
82.	निदेशक नॉर्थ ईस्टर्न रिजनल इंस्टीटयूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नॉलोजी (एनईआरआईएसटी), ईटानगर, निरजुली–79110 (अरूणाचल प्रदेश)
83.	निदेशक संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नालोजी(एसएलआईईटी), गांव लॉंगोवाल, जिला संगरूर, पंजाब 148106
84.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एज्युकेशनल कन्सलटेन्टस ऑफ इण्डिया लिमिटेड(एडसिल), प्लॉट नं. 18ए, सेक्टर–16ए नौएडा–201301,(उ.प्र.)
85.	सचिव महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जयनी डेवलपमेन्ट अथॉरिटी, एडमिनिसट्रेटिव बिल्डिंग, भारतपुर, उज्जैन–456010
86.	निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, हिन्दी संस्थान मार्ग, आगरा–282005
87.	निदेशक नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, वेस्ट ब्लॉक नं.1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110066
88.	निदेशक नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, वेस्ट ब्लॉक, विंग नं.7, सेक्टर–1,आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110066
89.	निदेशक केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मनसागंगोत्री, मैसूर–570006
90.	निदेशक केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, आर.के.पुरम्, नई दिल्ली–110066
91.	अध्यक्ष वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110066

92. निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय,
17-बी, श्री अरविन्दो मार्ग,
एनआईई कैम्प,
नई दिल्ली-110016

93. सचिव (उच्चतर शिक्षा)-बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष, और सचिव- सदस्य सचिव
भारत शिक्षा कोष,
उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
नई दिल्ली-110001

94. अध्यक्ष
आरोविले फाउंडेशन,
भारत निवास, पी.ओ. आरो विले, जिला विलुपुरम्,
आरो विले- 605101 (तमिलनाडु)

95. अध्यक्ष
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, 9-15, ग्रीन पार्क,
नई दिल्ली-110016

96. अध्यक्ष
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
2-सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार,
नई दिल्ली-110092

97. निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,
अरविन्दो मार्ग,
नई दिल्ली-110048

98. अध्यक्ष
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय,
बी-31वां, कैलाश कॉलोनी,
नई दिल्ली-110048

99. आयुक्त
केन्द्रीय विद्यालय संगठन,
18,शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली-110016

100. आयुक्त
नवोदय विद्यालय समिति,
39-ए, कैलाश कॉलोनी,
नई दिल्ली-110048

101. निदेशक,
केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन,
ईएसएस प्लाजा, सामुदायिक केन्द्र, रोहिणी, सेक्टर-3,
नई दिल्ली-110085

102. अध्यक्ष,
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्,
हंस भवन, विंग नं0 2, बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-110002

103. निदेशक
राष्ट्रीय खाल भवन,
कोटला मार्ग,
नई दिल्ली-110002

नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त 2008

सं. एफ. 6-3/2007-एम.सी.--

विषयः- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा अनुवीक्षण समिति में राज्य सभा के सदस्य का नामांकन।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा अनुवीक्षण समिति को पुर्नगठित करने वाले दिनांक 23.8.2007 तथा 12.11.2007 के इस समसंख्यक कार्यालय संकल्प के अनुक्रम में श्री एस.एम. लालजन पाशा, के राज्य सभा सदस्य के पद से सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप हुई रिक्ति के स्थान पर डा. एजाज अली, सदस्य, राज्य सभा, कमरा सं.-12, वैस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा अनुवीक्षण समिति का सदस्य नामित किया जाता है। डा. एजाज अली का कार्यकाल 6 अगस्त,2010 तक होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की एक प्रति समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना को सर्व साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डा. एम. हमीदुल्ला भट
निदेशक (एम.सी.)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 जुलाई 2008

आदेश

विषयः- ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए 'प्राकृतिक ऊर्जा पुरस्कार योजना '.

सं. 11019(1)/2008-हिंदी--

इस मंत्रालय के दिनांक 27 अप्रैल, 1988 के संकल्प सं. 11019(2)/87- हिंदी और दिनांक 18 अगस्त, 1999 के आदेश सं. 11019(1)/98 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली प्रविष्टियों में प्रत्येक में कम से कम 100 पृष्ठ अवश्य हों।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, भारत के सभी विश्वविद्यालयों तथा समाचार एजेंसियों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

दिनेश कुमार पाण्डेय
उप-निदेशक (राजभाषा)

MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
CENTRAL STATISTICAL ORGANISATION

New Delhi-110 001, the 29th August 2008

No. U-17014/1/2007/NAD-12(HLC) The Government of India hereby extends the term of the High Level Committee on Estimation of Savings and Investments constituted vide Notification No. U.17014/1/2007/NAD-12 (HLC) dated 26th December 2007 under the Chairmanship of Dr. C. Rangarajan, up to 26th December 2008.

2. The terms of reference of the High Level Committee and other references given in the notification dated 26th December 2007 remain same.

3. This issues with the concurrence of Financial Adviser (statistics) vide Budget & Finance Section Dy. No. 334 dated 17.7.2008.

ARVIND KUMAR
Joint Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION

New Delhi, the 29th August, 2008

RESOLUTION

No. E-11015/3/2003-Hindi.—In pursuance of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language O.M. No. II/20015/45/87-O.L. (A-2) Dated 15th March, 1988, the Govt. of India have decided to re-constitute the Hindi Salahkar Samiti of Ministry of Commerce and Industry in the Department of Industrial Policy and Promotion. Composition and functions etc. of the Committee will be as under:-

I. COMPOSITION

1.	Minister of Commerce & Industry	Chairman
2.	Minister of State for Industry	Vice-Chairman

II. OFFICIAL MEMBERS

A. Department of Industrial Policy and Promotion

3.	Secretary	Member
4.	Additional Secretary & Financial Adviser	Member
5.	Joint Secretary	Member
6.	Joint Secretary	Member
7.	Joint Secretary (Incharge Hindi)	Member-Secretary
8.	Technical Adviser (Boiler)	Member

B. Department of Official Language

9.	Secretary Deptt. of Official Language	Member
10.	Joint Secretary, Deptt. of Official Language	Member

C. Attached/Subordinate Offices and Organisations.

11.	Salt Commission, Jaipur	Member
12.	Economic Adviser, New Delhi	Member

13.	Chairman, The Tarrif Commissioner, New Delhi	Member
14.	Chief Controller of Explosives, Nagpur	Member
15.	Controller General,Patent, Design & Trade Marks Registry, Mumbai	Member
16.	Director, Central Manufacturing Technology Institute,Bangalore	Member
17.	Director, Central Pulp and Paper Research Institute, Saharanpur	Member
18.	Director, Indian Rubber Manufacturers Research Association, Thane	Member
19.	Director General, National Council for Cement and Building Material, Ballabhgarh, Haryana	Member
20.	Executive Director, National Institute of Design, Ahmedabad	Member
21.	Chairman, National Manufacturing Competitiveness Council, New Delhi	Member
22.	Direcrtor General, National Productivity Council, New Delhi	Member
23.	General Secretary, Quality Council of India, New Delhi	Member
24.	Chief Controller of Accounts, New Delhi	Member

III. NON-OFFICIAL MEMBERS

A. MEMBERS OF LOK SABHA

25.	Smt. Minati Sen	Member
26.	Sh. Chhatar Singh Darbar	Member

B. MEMBERS OF RAJYA SABHA

27.	Smt. Viplav Thakur	Member
28.	Sh. Vijay Kumar Rupani	Member

C. REPRESENTATIVES OF THE COMMITTEE OF PARLIAMENT ON OFFICIAL LANGUAGE

29.	Sh. Matilal Sarkar, M.P. (Rajya Sabha)	Member
30.	Sh. Mahender Prasad Nishad, M.P. (Lok Sabha)	Member

D. REPRESENTATIVE OF VOLUNTARY HINDI ORGANISATIONS ETC. OF ALL INDIA LEVEL

31.	Shri Surendra Kumar Tuteja, kendriya Sachivalya Hindi Parishad, New Delhi	Member
32.	Dr. Padmakar Pandey, Nagri pracharini Sabha, New Delhi-110067	Member

IV. MEMBERS NOMINATED BY THE MINISTER OF COMMERCE & INDUSTRY

33.	Shri Arun Dixit, Special Correspondent in the National Bureau (Navbharat Times), Bhopal (M.P.)	Memebr
34.	Shri Nirmal Pathak, Chief of Bureau, Dainik Bhaskar, Kaushambi, Ghaziabad (U.P.)	Member
35.	Shri Sanat Kumar Jain, Chairman & Chief Editor of the Express Group of News Papers & Express Media Service, Bhopal (M.P.)	Member
36.	Shri Govardhan Yadav, President, Madhya Pradesh Rashtra Bhasha Prachar Samiti Chhindwara, (M.P.) 480001	Member

V. MEMBERS NOMINATED BY DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE.

37.	Advocate Smt. Lalita Shyam Patil, Distt-Jalgaon (Maharashtra)	Member
38.	Smt. Sadhana Sanyal, PO & Distt-Dhubri, Assam-783301	Member

39. Shri Savesh ViAjayran, Nangloi, Delhi-110086 — Member

(2) FUNCTIONS OF THE COMMITTEE

The functions of the Samiti will be to render advice to Department of Industrial Policy & Promotion with regard to the progressive use of Hindi in Official work and implementation of the provisions of the Official Language Policy laid down by the Ministry of Home Affairs, Deptt. of Official Language.

(3) TENURE OF THE COMITTEE

THE TERM OF THE SAMITI WILL Be three years from the date of its constitution provided that :

(a) a member who is a Member of Parliament shall cease to be the member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament;

(b) ex-officio members of the Samiti shall continue as members as long as they hold office by virtue of which they are members of the Samiti;

(c) if a vacancy arises on the Samiti due to resignation, death, etc. of a member, the member appointed in that capacity shall hold office for the residual term of three years.

(4) GENERAL

The Headquarters of the Samiti shall be in New Delhi but in may hold its meetings at any other station also.

(5) T. A. AND OTHER ALLOWANCES

(a) The Members of Parliament nominated in the Samiti will be paid Travelling Allowance and Daily Allowance as per the provisions in the "Members of Parliament (Salary, Allowance & Pension) Act, 1954" amendments issued from time to time and rules made thereunder vide Department of Official Language, Office Memorandum No. II/20034/04/2005-O.L. (Policy-2), dated 03 February, 2006.

(b) Travelling Allowance and Daily Allowance to other non-official members of the samiti will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language O. M. No. II/22034/04/86-OL (A-2) Dated 22-1-1987 and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, U.T. Administrations, P.M. Secretariat, Cabinet Secretariat, Deptt. of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Controller of Accounts and all the Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. N. PRASAD
Joint Secy.

New Delhi, the 29th August 2008

No. 5/17/2007-Leather—The Central Government has approved a Scheme titled. Indian Leather Development Programme (ILDP) with an outlay of Rs. 912.67 crores to be implemented during the 11th Plan period. The Scheme aims at augmenting raw material base, enhancing capacity, addressing environmental concerns, human resource development, attracting investment and global marketing of Indian Leather.

2. The details of the components under ILDP issued vide O.M. of even number dated 29th August, 2008 are annexed to the Notification.

R. K. MALIK
Director

Subject: - Indian Leather Development Programme (ILDP) – implementation during 11th Five Year Plan (2007-12).

No. 5/17/07-Leather—

Leather Sector is the 10th largest manufacturing sector in India and it plays an important role in Indian economy in view of its substantial overall output, export earnings and employment potential. The Leather Sector employs 2.5 million people with majority from weaker sections of the society and about 30% women. The Sector is dominated by small and medium enterprises In order to augment raw material base; enhance capacity; address environmental concerns; human resource development; attract investment and global marketing of Indian Leather, the Central Government has approved implementation of the Indian Leather Development Programme (ILDP) for the 11th Five Year Plan comprising of the following components: -

i) **INTEGRATED DEVELOPMENT OF LEATHER SECTOR (IDLS) (Outlay Rs. 253.43 crores):** This is a 10th plan scheme and is being continued in the 11th plan. The scope of the scheme is enhanced to include new units .The scheme would provide assistance in the form of Investment grant @ 30% to SSI and 20% to Non-SSI upto grant of Rs. 50 lakh. Assistance will be provided @ 20% if the grant amount is above Rs. 50 lakh within the ceiling of Rs. 2 crores. The disbursement above Rs. 25 lakh would be made in four equal annual installments.

ii). **LEATHER TANNING COMPLEX AT NELLORE (Outlay Rs. 29 crores):** This project was proposed to be implemented during the 10th Five Year Plan. However, the project could not take off for want of decision from the Government of Andhra Pradesh. This project aims to increase the capacity of the tanning sector. This project is proposed to be implemented during the 11th Plan. Government of Andhra Pradesh has transferred the required land to LIDCAP, an institution expected to implement the project. A provision of

Rs.29 crores is approved during 11th Plan as assistance to develop the infrastructure of the tanning park.

iii) **ESTABLISHMENT OF BRANCH OF FDDI (NIFDT) AT FURSATGANJ (Outlay Rs. 7.17 crores):** The Institute would be a branch of the Footwear Design and Development Institute, Noida and would be equipped with facilities of latest technologies to provide training of international standards with latest technology. The assistance from this Department to the project is Rs. 13.53 crores out of which Rs. 6.36 crores has been released during the 10th Plan Period. The balance of Rs. 7.17 crores has also been released in December 2007 i.e., during the 11th Plan Period.

iv) **FOOTWEAR COMPLEX (Outlay Rs. 3 crores):** This is an ongoing scheme of the 10th Plan and aims to build a Footwear Complex near Chennai in 153.65 acres and provide infrastructure facilities for housing large footwear manufacturing units. Infrastructure development towards design and testing centers, display centre, warehousing, common power plant etc. would be provided. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited (SIPCOT), a State Government undertaking is the implementing agency. The Central Government has released Rs. 11 crores during the 10th Plan and the balance of Rs. 3 crores would be released during the 11th Five Year Plan period.

v) **SADDLERY DEVELOPMENT (Outlay Rs. 10 crores):** Harness and Saddlery comprise a wide range of products. The industry had identified upgradation and development of skilled manpower, standardization & development of components accessories and tools, development of low cost indigenous machinery, and improvement in production techniques and processes as major areas of concern. International Institute of Saddlery Technology and Export Management (Kanpur), a Special Purpose Vehicle constituted under the overall guidance and superintendence of IIT (Kanpur) would continue to provide skilled human resources to meet the need of the sector and function as an R & D base for the industry. In order to achieve the above stated objectives an allocation of Rs. 10 crores has been approved for the XI Plan period.

vi) **SUPPORT TO ARTISAN (Outlay Rs. 40 crores)**: There are various clusters in the India making traditional footwear and other leather goods. The aim of the component is to

promote the clusters at various forums as they are an integral part of rural Indian economy and have potential for generating local employment and export. The artisan clusters (both urban and rural) would be supported for enhancing their designs as per the changing trends and fashion, corpus of revolving funds for obtaining bulk raw material, grant based livelihood support, marketing support/linkages and also bank linkages. The broad objective of this component would be to ensure better and higher returns to the artisans.

vii). **HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (Outlay Rs. 60 crores):** HRD mission would target non-traditional potential work force in the rural areas. This project would train and prepare individuals in the rural areas to be fit to work in medium to large industrial units that are likely to be set up. Up gradation of skills of persons already employed in the sector besides training for trainers/supervisors would also be undertaken. The scheme would lay stress on skill development and technical development especially in cutting and stitching. The training proposed under the scheme would be output linked where atleast 75% of those trained would be placed in the industry.

viii). **UP-GRADATION OF FACILITIES OF FDDI AND ESTABLISHMENT OF OTHER SUCH INSTITUTES AND CENTRES: (Outlay Rs. 300.07 crores):** As of now about 3,800 people are trained every year in leather and leather product sector [CLE 2008]. Against this supply, the demand of the industry is around 1,00,000 skilled persons every year for the next five years. In order to increase the uptake of the student in each category and to train them in the latest technology, up gradation of the facilities in the existing units has become absolutely essential.

Footwear Design and Development Institute (FDDI), Noida, is a premier Institute providing training, consultancy services in the footwear and leather industry. It is therefore proposed that at least three new FDDI campuses each at Tamil Nadu, West Bengal and Haryana. would be established at a cost of Rs. 96.69 crores each during the 11th Plan period to meet the growing demand of the leather Industry. Besides, Rs. 10 crores would be provided for up gradation of existing FDDI campus at Noida. Assistance would be in the form of one time grant for creation of capital assets and permanent infrastructure and no recurring cost would be provided.

ix). **UPGRADATION/INSTALLATION OF INFRASTRUCTURE FOR ENVIRONMENT PROTECTION IN LEATHER SECTOR (Outlay Rs. 200 crores):** Leather industry and tanning activity in particular, all over the World is linked to environmental concerns. In view of the fact that environmental issues are slowly gaining ground and measures would need to be put in place for industries to cope with the stringent norms, an allocation of Rs. 200 crores has been made in the 11th Five Year Plan to address these concerns. Projects for meeting environmental concerns would be funded with 50% grants from Central Government, with the remaining fund coming from State Government (15%) and from the Industry (35%). The entire Operation and Maintenance costs would be borne by the industry.

x). **MISSION MODE (Outlay Rs. 10 crores):** This programme envisages attracting investment in to the sector and includes provision for research, programme support, survey, and concurrent evaluation etc in the field of leather. Besides, provision has also been made for cost on account of advisory and consultancy services in respect of various projects under ILDP being implemented in the 11th Five Year Plan.

2. The guidelines on the above-mentioned components are available on the website of this Department (http://dipp.nic.in).

R. K. MALIK
Director

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 18th August 2008

No. 4(5)/03-DI. In exercise of the powers conferred by Clause 17 of the Iron & Steel (Control) Order, 1956 which was issued under Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, the Central Government have constituted the Joint Plant Committee vide S.O.1567 dated 7th April, 1971 with the composition and functions specified therein. The composition and functions of the Joint Plant Committee have been modified from time to time vide S.O.104 dated 22.2.1973, S.O.123 dated 3.3.1975, S.O.721 dated 20.12.1975, S.O.744 dated 27.12.1978, S.O.571 dated 08.10.1979, S.O. 734 dated 09.02.1990, S.O.1211 dated 04.04.1991, S.O.44 (E) dated 16.01.1992, S.O. 1616 dated 18.05.1992 and S.O. 318 (E) dated 21.04.1994.

Consequent upon removal of Iron & Steel from the Essential Commodities Act, 1955 vide the Essential Commodities (Amendment) Act, 2006 (No.54 of 2006) which has been brought into force w.e.f. 12th February, 2007 vide Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) Notification No. 26(1)/2004-ECR&E (Vol.III) dated 12.2.2007 and in order to maintain the assets and liabilities of the Joint Plant Committee, the Central Government has decided that the said Joint Plant Committee shall continue to function in its present form along with its present composition and functions specified hereunder:-

Composition

(i)	Joint Secretary, Ministry of Steel (In-charge of Steel Development Wing).	Chairman
(ii)	One representative from Tata Steel Ltd.	Member
(iii)	Four representatives from Steel Authority of India Ltd. (SAIL).	Member
(iv)	One representative from Rashtriya Ispat Nigam Ltd. (RINL).	Member
(v)	One representative from the Railway Board	Member

Functions:

(i) The Committee may obtain from all Producers, Processors, Dealers and Consumers of Iron & Steel such information and data as it may require in discharging its functions specified in this Notification as well as for maintaining a comprehensive database in respect of any matter including production, movement and prices. It may also form such statistical and other units as may be necessary for discharge of its functions.

(ii) The Committee shall have the power to maintain the organizations already formed by it and may also evolve suitable organization, methods and procedures to review carefully the general market situation, fluctuations in free market prices, the trends of production, availability and movement of Iron & Steel and, for this purpose, the Committee shall arrange for effective and timely flow of information from all concerned including the Iron & Steel Plants.

(iii) The Committee shall continue to be responsible for the management and operation of the Steel Development Fund and other Funds accumulated under the said Iron & Steel (Control) Order, 1956 and interest accrued and received thereon, in accordance with and subject to such orders or directions as have been issued earlier and those as may be issued by the Central Government in this behalf from time to time.

(iv) The Committee shall submit comprehensive information to the Ministry of Steel regularly to enable the latter to effectively review the situation of the Iron & Steel sector of this country and may furnish information to the Industry, when requisitioned.

(v) The Committee shall perform such other functions as may be entrusted to it by the Ministry of Steel from time to time.

M. K. ROY
Deputy Secy.

10—231 GI/2008

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING & FISHERIES)

New Delhi-110 001, the 1st September 2008

Subject: **Reconstitution of Indian National Committee (INC) of International Diary Federation (IDF).**

No. 16-1/2008-DP—

In partial modification of this Ministry's notification No 16-1/2007-DP dated the 8th May, 2007,the competent authority has nominated Managing Director, Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation, Anand and Managing Director, Hatsun Agro Product Ltd, Chennai, as Co-opted members of Indian National Committee (INC) of International Diary Federation (IDF).

2. Accordingly the composition of the Indian National Committee (INC) of International Diary Federation (IDF) is as follows: -

1.	Secretary (ADF), Ministry of Agriculture, Government of India	President
2.	Chairperson, National Dairy Development Board (NDDB)	Member
3.	Animal Husbandry Commissioner, Government of India	Member
4.	Joint Secretary (Dairy Development), Government of India	Member
5.	One member from Board of NDDB	Member
6.	Director, National Dairy Research Institute, Karnal	Co-opted Member
7.	President, Indian Dairy Association, New Delhi	-do-
8.	Representative from Bureau of Indian Standards, Government of India	-do-
9.	Representative from the National Food Safety & Standard Authority, Min. of Health & Family Welfare, Government of India	-do-
10.	Vice President, Bhole Baba Milk Foods Industries, Dholpur, Rajasthan	-do-
11	Chief Executive Officer, Dynamix Industries, Maharashtra	-do-
12.	Managing Director, Karnataka Milk Federation, Bangalore	-do-
13.	Managing Director, Pradeshik Co-op. Dairy Federation, Lucknow	-do-
14.	Managing Director, Punjab Dairy Development Coop. Federation, Chandigarh	-do-
15.	Managing Director, Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation, Anand	-do-
16	Managing Director, Hatsun Agro Products Ltd. Chennai.	-do-
17	Managing Director, NDDB, Anand	Member Secretary

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments, Administration of Union Territories and the Departments/Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

(Dr.) PRADEEP KUMAR
Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 14th August 2008

No. F. 9-48/2007-U. 3(A)—

Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of Higher Learning as a deemed-to-be-university.

2. And whereas, an application was received in August, 2004 from Graphic Era University,Dehradun,Uttarakhand seeking status of 'deemed-to-be-university' under Section 3 of the UGC Act, 1956;

3. And whereas, the University Grants Commission has examined the said proposal and vide its communication bearing No.43-2/2007(CPP-I) dated the 8th July, 2008 has recommended conferment of status of 'deemed-to-be-university' to Graphic Era University,Dehradun,Uttarakhand comprising of Graphic Era Institute of Technology with a condition that performance will be reviewed after a period of five years of conferment of status.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission (UGC), hereby declare that Graphic Era University,Dehradun,Uttarakhand comprising of Graphic Era Institute of Technology , shall be a "deemed-to-be-university" for the purposes of the aforesaid Act, for a period of five years, with effect from the date of its disaffiliation from its affiliating universities, viz., Uttarakhand Technical University and HNB Garhwal University subject to a review at the end of five years by the UGC with the help of an Expert Committee.

5. The status conferred on Graphic Era University,Dehradun,Uttarakhand shall be confirmed after a period of five years only on the basis of the aforesaid reviews by an Expert Committee of the UGC and recommendations of the Commission thereof;

6. The declaration as made in para 4 above is subject to fulfillment / compliance of further conditions mentioned at Sr. No.4 of the endorsement to this Notification;

7. Neither the Government of India nor the UGC shall provide any Plan or Non-Plan grant-in-aid to the Graphic Era University.

SUNIL KUMAR
Joint Secy.

The 25th August 2008

No. F. 9-15/1995-U. 3—

Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a deemed-to-be-university;

2. And whereas "Bharati Vidyapeeth", Pune was declared deemed to be a university under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 vide this Ministry's notification No.F.9-15/95-U.3 dated the 26th April, 1996;

3. And whereas, the Bharati Vidyapeeth, in April, 2002, requested the UGC for giving a status of independent constituent unit to (i) Interactive Research School for Health Affairs (IRSHA), Pune and (ii) Rajiv Gandhi Institute of Information Technology and Biotechnology (RGIITBT), Pune, under its ambit. The UGC agreed to bring the said institutions under the ambit of Bharati Vidyapeeth subject to few conditions and later approved this decision in the meeting of the Commission held on 25.09.2002;

4. And whereas, at the instance of this Ministry the UGC has conducted inspection of the institutions mentioned at para 3 above through its Expert Committee and upon considering the inspection report of the Expert Committee the Commission vide its communication F.No.3-2/90(CPP-I) dated 19.05.2008 has approved the recommendations of the Expert Committee to bring IRSHA and RGIITBT under the ambit of Bharati Vidyapeeth Deemed University, Pune for the conduct of non-professional courses with effect from 17th August, 2002, the date on which the UGC permitted them to be part of the Deemed-to-be-University;

5. Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, and on the basis of the reports made available by the UGC in the matter, do hereby grant permission to (i) Interactive Research School for Health Affairs (IRSHA), Pune and (ii) Rajiv Gandhi Institute of Information Technology and Biotechnology (RGIITBT), Pune to function as independent constituent units of the Bharati Vidyapeeth, Deemed-to-be-University, Pune, for the purpose of the aforesaid Act with effect from the 17th August, 2002, the date on which the UGC had permitted them to be part of the Vidyapeeth subject to fulfillment/compliance of the following conditions that:

(i) the permission granted to the RGIITBT is for the conduct of non-professional courses only;

(ii) the permission granted to the IRSHA is not for conduct of any academic courses/programmes, and the IRSHA which is basically a Research Centre shall continue to function so under the ambit of the Bharati Vidyapeeth;

(iii) all the moveable and immovable assets/properties of the RGIITBT and the IRSHA shall be legally transferred and vested with the Bharati Vidyapeeth (Deemed-to-be-University);

(iv) the Bharati Vidyapeeth shall revise/amend its 'Memorandum of Association (MoA) & Rules immediately as per the model MoA/Rules prescribed by the UGC and get them approved by the UGC; and

(iv) the Bharati Vidyapeeth will adhere to the norms and guidelines prescribed by the UGC from time to time, as are applicable to the institutions declared as deemed-to-be-universities under Section 3 of the UGC Act, 1956;

6. The declaration made in para 5 above shall be subject to compliance/fulfillment of the further conditions that are mentioned at Sl. No. 6 of the endorsement of this notification.

7. Neither the Government of India nor the UGC shall provide any Plan and Non-Plan grant-in-aid to Bharati Vidyapeeth or any of its constituent units.

SUNIL KUMAR
Joint Secy.

No. F. 9-7/2004-U. 3 -

Whereas "Bharati Vidyapeeth", Pune was declared deemed to be a university under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 vide this Ministry's notification No.F.9-15/95-U.3 dated the 26th April, 1996;

2. And whereas, on the advice of the UGC, two institutions namely, (i) Bharati Vidyapeeth's Medical College and Hospital, Sangli and (ii) Bharati Vidyapeeth's Dental College and Hospital, Navi Mumbai were included under the ambit of the Bharati Vidyapeeth, Deemed-to-be-University, Pune vide this Ministry's notification of even number dated 19.08.2004 subject to review after three years and fulfillment of certain other conditions;

3. And whereas the UGC has reviewed the performance of the institutions mentioned at para 2 above through an Expert Committee constituted for this purpose;

4. And whereas, on the basis of the report of the Expert Committee, the UGC vide its communication F.No.3-2/90(CPP-I) dated 10.03.2008 has agreed that the institutions mentioned at para 2 above may be brought under the ambit of the Bharati Vidyapeeth, Deemed-to-be-University, on regular basis;

5. Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, and on the advice of the UGC in the matter, do hereby accord approval to the continuance of (i) Bharati Vidyapeeth's Medical College and Hospital, Sangli and (ii) Bharati Vidyapeeth's Dental College and Hospital, Navi Mumbai, as the constituent units in the ambit of Bharati Vidyapeeth, Deemed-to-be-University, Pune, for the purpose of the aforesaid Act, strictly in terms of this Ministry's notification of even number dated 19.08.2004, subject to the conditions that (i) the 'Deemed-to-be-University' Institution shall revise/amend its 'Memorandum of Association (MoA)' & Rules immediately as per the model MoA/Rules prescribed by the UGC and get them approved by the UGC and (ii) it will adhere to the norms and guidelines prescribed by the UGC and the Statutory Councils concerned such as the Medical Council of India (MCI) and the Dental Council of India(DCI), from time to time, as are applicable to the institutions declared as deemed-to-be-universities under Section 3 of the UGC Act, 1956;

6. The declaration made in para 5 above shall be subject to compliance/fulfillment of the further conditions that are mentioned at Sl. No. 6 of the endorsement of this notification.

SUNIL KUMAR
Joint Secy.

No. F. 9-24/2004-U. 3(A)—

Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of Higher Learning as a deemed-to-be-university.

2. And whereas, an application was received in August, 2004 from Karpagam Academy of Higher Education, Coimbatore,Tamil Nadu seeking status of 'deemed-to-be-university' under Section 3 of the UGC Act, 1956;

3. And whereas, the University Grants Commission has examined the said proposal and vide its communication bearing No.6-93/2004(CPP-I) dated the 1st May, 2008 has recommended conferment of status of 'deemed-to-be-university' to Karpagam Academy of Higher Education, Coimbatore,Tamil Nadu comprising of Karpagam College of Arts and Science with a condition that performance will be reviewed after a period of three years of conferment of status.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission (UGC), hereby declare that Karpagam Academy of Higher Education, Coimbatore, Tamil Nadu comprising of Karpagam College of Arts and Science , shall be a "deemed-to-be-university" for the purposes of the aforesaid Act, for a period of three years, with effect from the date of its disaffiliation from its affiliating universities, viz., Bharathiar University, Coimbatore, subject to a review at the end of three years by the UGC with the help of an Expert Committee.

5. The status conferred on Karpagam Academy of Higher Education, Coimbatore,Tamil Nadu shall be confirmed after a period of three years on the basis of the aforesaid reviews by an Expert Committee of the UGC and recommendations of the Commission thereof;

6. The declaration as made in para 4 above is subject to fulfillment / compliance of further conditions mentioned at Sr. No.4 of the endorsement to this Notification;

7. Neither the Government of India nor the UGC shall provide any Plan or Non-Plan grant-in-aid to the Karpagam Academy of Higher Education,Coimbatore,Tamil Nadu .

SUNIL KUMAR
Joint Secy.

The 11th September 2008

RESOLUTION

No. 17-35/2004-PN I.

There have been consistent demands from various sections of the society to observe 11th November, the birthday of Maulana Abul Kalam Azad, a great Freedom Fighter, an eminent Educationist and the first Union Minister of Education, in a befitting manner. Several State Governments have also supported the demand. Accordingly, the Central Government has decided to observe 11th November, every year, as the "National Education Day" throughout the country, without declaring it as a holiday.

2. Ministry of Human Resource Development has decided to commemorate the birthday of this great Son of India by recalling his contribution to the cause of education in India. Educational Institutions at all levels would be involved in organizing seminars, symposia, essay-writing, elocution competitions, workshops and rallies with banners, cards and slogans on the importance of literacy and nation's commitment to all aspects of education on the "National Education Day". The focus of activities on the "**National Education Day**" would be on the various initiatives taken under Sarva Shiksha Abhiyan (SSA); in setting up model schools in secondary education; on the various initiatives taken in higher secondary education; and in vocational and higher education sectors by the Central Government on its own, and in partnership with State Governments, as well as through Private Public Partnership. These initiatives would be projected in association with various industry bodies, whose fullest cooperation also would be sought in the development of human resources in the country.

3. All concerned are requested to ensure that the activities enumerated in Paragraph-2 of this Resolution are implemented by the institutions under their purview.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Also ordered that a copy of the Resolution be forwarded to all the Ministries/Departments of the Government of India, all State Governments/Union Territories Administrations, Universities, Institutions/Organizations of the Department of Higher Education and Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, for information and necessary action.

SUNIL KUMAR
Joint Secy.

LIST OF AUTONOMOUS ORGANIZATIONS UNDER THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION AND DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION &LITERACY)

S.N.	Autonomous Organizations
1	Vice-Chancellor University of Delhi, Delhi-110007
2	Vice-Chancellor Jawaharlal Nehru University, New Mehrauli Road, New Delhi-110067
3	Vice-Chancellor Aligarh Muslim University, Aligarh, U.P
4	Vice-Chancellor Banaras Hindu University, Varanasi, U.P
5	Vice-Chancellor Puducherry University, Puducherry -605014
6	Vice-Chancellor University of Hyderabad, Hyderabad-500134
7	Vice-Chancellor North Eastern Hill University, Lower Lachumere, Shillong-793022
8	Vice-Chancellor Indira Gandhi National Open University (IGNOU), IGNOU Complex, Maidan Garhi, New Delhi-110068
9	Vice-Chancellor Assam University, Silchar-788011
10	Vice-Chancellor Tezpur University, NAPAAM, Distt. Sonitpur, Tezpur, Assam-784025
11	Vice-Chancellor Visva Bharati, Shanti Niketan, West Bengal-731235
12	Vice-Chancellor Nagaland University, Kohima, Nagaland-797001
13	Vice-Chancellor Jamia Millia Islamia, Jamia Nagar, New Delhi-110023

14	Vice-Chancellor Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Vidya Vihar, Rae Bareilly Road, Lucknow, U.P - 226025
15	Vice-Chancellor Maulana Azad National Urdu University, Gachibowli, Hyderabad-500032
16	Vice-Chancellor Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, P.B.No.16, Panchitteeta, Arvi Road, Umri, Wardha-442001
17	Vice-Chancellor Manipur University, Canchipur, Imphal-795003
18	Vice-Chancellor Mizoram University, P.B.No.190, Aizwal, Mizoram-796012
19	Vice-Chancellor University of Allahabad, Allahabad, U.P.
20	Chairman University Grant Commission, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
21	Chairman Indian Council of Historical Research (ICHR), 35-Ferozeshah Road, New Delhi-110001
22	Chairman Indian Council of Social Research (ICSSR), Post Box No. 10528, Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi-110067
23	Chairman Indian Council of Philosophical Research (ICPR), 36, Tughlakabad Institutional Area, Near Batra Hospital, Tughlakabad, New Delhi-110062
24	Chairman National Council of Rural Institutes, NIRD Campus, Rajendra Nagar, Hyderabad.
25	Chairman Indian Institute of Advanced Studies (IIAS), Rashtrapati Nivas, Shimla-171005

26	Chairman National Commission for Minority Educational Institutions, 1st Floor, Jeevan Tara Building, 5, Sansad Marg, Patel Chowk, New Delhi-110001
27	Director Rashtriya Sanskrit Sansthan, 56-57, Institutional Area, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi
28	Vice Chancellor Shri Lal Bahadur SanskritVidyapeeth, Katwaria Sarai, Near Qutub Hotel, New Mehrauli Road, New Delhi-110067
29	Vice Chancellor Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati(A.P.)
30	Director Central Institute of English and Foreign Languages, Hyderabad-500007
31	Director Indian Institute of Technology(IIT),Hauz Khas, New Delhi-110016
32	Director Indian Institute of Technology (IIT), Kanpur-208076
33	Director Indian Institute of Technology (IIT), Powai, Mumbai-400076
34	Director Indian Institute of Technology (IIT), Kharagpur-721302
35	Director Indian Institute of Technology (IIT), Chennai-600036
36	Director Indian Institute of Technology (IIT), North Guwahati, Guwahati-781039
37	Director Indian Institute of Technology (IIT), Roorkee-247667
38	Director Indian Institute of Management, Vastrapur, Ahmedabad-380015
39	Director Indian Institute of Management, Bannerghat Road, Bangalore-560076

40	Director Indian Institute of Management, Joka, Diamond Harbour Road, Kolkata-700104
41	Director, Indian Institute of Management, Kozhikode, Kunnamangalam, Kozhikode-673571
42	Director Indian Institute of Management, Indore, Pigdamber, Rau, Madhya Pradesh-453331
43	Director Indian Institute of Management, Prabandh Nagar, Off Sitapur Road, Lucknow-226013
44	Director National Institute of Technology, Calicut - 673601
45	Director S.V.National Institute of Technology, Surat-395007(Gujarat)
46	Director National Institute of Technology, Hazaratbal, Srinagar-190006 (J&K)
47	Director Motilal Nehru National Institute of Technology, Allahabad-211004(UP)
48	Director National Institute of Technology, Durgapur-713209(West Bengal)
49	Director National Institute of Technolog, Jamshedpur-831014(Jharkhand)
50	Director, Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur-440001
51	Director National Institute of Technology, Srinivasanagar, Surthakal-574157
52	Director National Institute of Technology, Warangal-506004
53	Director Malaviya National Institute of Technology, Jaipur-302017

54	Director National Institute of Technology, Rourkela-769008 (Orissa)
55	Director MaulanaAzad National Institute of Technology, Bhopal-462007
56	Director National Institute of Technology, Tiruchirapalli-620015 (Tamil Nadu)
57	Director National Institute of Technology, Kurukshetra-132119
58	Director National Institute of Technology, Silchar-788010
59	Director National Institute of Technology, Hamirpur-177001 (Himachal Pradesh)
60	Director National Institute of Technology, Patna (Bihar)
61	Director Dr. B.R.Ambedkar National Institute of Technology, G.T.Road, Bye Pass, Jallandhar-144004 (Punjab)
62	Director National Institute of Technology, Jaipur- (Rajasthan)
63	Director National Institute of Technology, Agartala, Tripura
64	Director ABV-Indian Institute of Information Technology and Management, (ABV-IIITM),MITS Campus, Gwalior-474075
65	Director Indian Institute of Information Technology (IIIT) Nehru Science Centre, Kamla Nehru Road, Allahabad-211002
66	Director Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology, Design & Manufacturing(IIITDM), IT Bhavan, Jabalpur Engg. Campus, Ranjhi, Jabalpur-482011 (Madhya Pradesh)
67	Director National Institute of Technical Teachers' Training & Research, Block FC, Sector-III, Salt Lake, Bidhan Nagar, Kolkata-700106

68	Director National Institute of Technical Teachers' Training & Research, Southern Region, Taramani Chennai-600113
69	Director National Institute of Technical Teachers' Training &Research, Shamla Hills, Bhopal-462002
70	Director National Institute of Technical Teachers' Training & Research, Sector-26, Chandigarh-160019
71	Director Board of Apprenticeship Training, Western Region, New Admn.Building, 2nd Floor, ATI Campus, Sion-Trombay Road, Sion, Mumbai-400022
72	Director Board of Practical Training (BOPT),Eastern Region, BlockEA Sector 1 (Opp Labony Estate) PO Salt Lake City, Kolkata-700064
73	Director Board of Apprenticeship Training (BOAT), Plot No. 16,Block-1-A Lakhanpur, GT Road, Kanpur-208024
74	Director Board of Apprenticeship Training, (BOAT), CIT Campus, Taramani, Chennai-600113
75	Chairman All India Council of Technical Education(AICTE), 7th Floor, Chanderlok Bhawan, Janpath, New Delhi-110002
76	President Council of Architecture, India Habitat Centre, Core-6-A, 1st Floor, Lodhi Road, New Delhi-110003
77	Director Indian Institute of Science, Bangalore-560012
78	Director Indian School of Mines, Dhanbad-826004 (Jharkhand)
79	Director National Institute of Foundry and Forge Technology (NIFFT), P.O. Hatia, Ranchi-834003 (Jharkhand)

80	Director National Institute of Industrial Engineering, Vihar Lake PO-NITIE, Mumbai-400087
81	Director School of Planning & Architecture, I.P.Estate, New Delhi-110002
82	Director North Eastern Regional Institute of Science & Technology (NERIST), Itanagar, Nirjuli-79110, (Arunachal Pradesh)
83	Director Sant Longowal Institute of Engineering & Technology (SLIET), Village Longowal, Distt. Sangrur, Punjab-148106
84	Chairperson and Managing Director Educational Consultants of India Limited (EdCIL), Plot No.-18A, Sector-16A Noida-201301, (UP)
85	Secretary Maharishi Sandeepani Rashtriya Veda Vidya Pratishthan, Ujjayini Development Authority, Administrative Building, Bharatpur, Ujjain-456010
86	Director Kendriya Hindi Sansthan, Hindi Sansthan Marg, Agra-282005
87	Director National Council for Promotion of Urdu Language, West Block No. 1 R.K.Puram, New Delhi-110066
88	Director National Council for Promotion of Sindhi Language, West Block, Wing No.7, Sector-1 R.K.Puram, New Delhi-110066
89	Director Central Institute of Indian Languages, Manasagangotri, Mysore-570006
90	Director Central Hindi Directorate, R.K.Puram, New Delhi-110066
91	Chairman Commission for Scientific and Technical Terminology, R.K.Puram, New Delhi-110066

92	Director National University of Educational Planning and Administration(NUEPA), 17-B, Sri Aurobindo Marg, NIE Camp, New Delhi-110016
93	Secretary(HE)--Chairman Board of Governors, Additional Secretary-Membe Secretary **Bharat Shiksha Kosh,** Department of Higher Education, Ministry of HRD, New Delhi-110001
94	Chairman Auroville Foundation, Bharat Nivas, P.O. Auroville, Distt. Villupuram, Auroville-605101 (Tamil Nadu)
95	Chairman National Book Trust of India, A-15 Green Park, New Delhi-110016
96	Chairman Central Board of Secondary Education, 2 Community Centre, Preet Vihar, New Delhi-110092
97	Director National Council for Educational Research and Training (NCERT), Aurobindo Marg, New Delhi-110048
98	Chairman National Open School, B-31 B, Kailash Colony, New Delhi-110048
99	Commissioner Kendriya Vidyalaya Sangathan, 18, Shaheed jeet Singh Marg, New Delhi-110016
100	Commissioner Navodaya Vidyalaya Samiti, 39-A, Kailash Colony, New Delhi-110048
101	Director, Central Tibetan Schools Administration ESS Plaza, Community Centre, Rohini, Sector-3 New Delhi-110085
102	Chairperson National Council of Teachers' Education (NCTE), Hans Bhawan, Wing No.2, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110002
103	Director National Bal Bhawan, Kotla Marg, New Delhi-110002

New Delhi-110115, the 21st August 2008

Subject:- Nomination of Member of Rajya Sabha on the National Monitoring Committee for Minorities' Education (NMCME).

No. 6-3/2007-MC—

In continuation of this Office Resolution of even number dated 23.8.2007 and 12.11.2007 reconstituting National Monitoring Committee for Minorities' Education (NMCME). Dr. Ejaz Ali, Member, Rajya Sabha, Room No.12, Western Court, New Delhi is nominated as Member on the National Monitoring Committee for Minorities Education (NMCME) against the vacancy caused by the retirement of Shri S.M. Laljan Pasha as Member Rajya Sabha. The term of Dr. Ejaj Ali will be upto 6th August, 2010.

ORDER

Ordered that a copy of the Notification be communicated to the Chairman and other member of the Committee.

Ordered also that the Notification be published in the Gazette of India for general information.

(Dr.) M. HAMIDULLAH BHAT
Director (MC)

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

New Delhi-110003, the 30th July 2008

ORDER

Subject:-'PRAKRITIKA URJA AWARD SCHEME' to encourage writting of original books in Hindi in the field of New and Renewable Sources of Energy.

No. 11019(1)/2008-Hindi—

With Reference to this Ministry's Resolution No. 11019(2)/87- Hindi Dated 27.4.1988 and Order No. 11019(1)/98-Hindi dated 18.8.1999, I am directed to state that the each entry received under this Scheme must contain atleast 100 pages.

ORDER

Ordered that a copy each of this corrigendum be sent to all the State Governments, all the Ministries and Departments of Government of India, all the Universities of India and all the News Agencies.

Ordered also that a copy of this order be published in the gazette of India for general information.

DINESH KUMAR PANDEY
Deputy Director (OL)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2008
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2008